मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
::आदेश::

403
5-2-2013

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2013

क्रमांक एफ ए 3–28/2012/एक (1) राज्य शासन एतद् द्वारा *मध्य प्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग एक की कण्डिका 6 के तहत्* मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाईज पैकेज प्रदान करने हेतु निम्नानुसार "निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति" का गठन करता है । इस समिति को मंत्रि–परिषद् की शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

1	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री. सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है	अध्यक्ष
2	श्री राघवजी मंत्री, वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर	सदस्य
3	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नालॉजी, सार्वजनिक उपक्रम, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग	सदस्य

2/ उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित अन्य विभागों के मंत्री उनके विभाग से संबंधित बिन्दु विचाराधीन होने पर समिति के सदस्य होंगे । इस हेतु उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा ।

3/ मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन इस समिति के सचिव होंगे ।

4/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग इस समिति के सह–सचिव होंगे ।

5/ संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव भी समिति के कार्य

6/ निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद समिति के कार्य संपादन हेतु निर्धारित प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट – 'अ' अनुसार होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ ए 3–28/2012/एक (1) भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. भोपाल,
3. निज सचिव, संबंधित मंत्री, म.प्र. भोपाल.
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.भोपाल,
7. आयुक्त, जनसंपर्क, बाणगंगा, भोपाल ।
8. सहायक सचालक, जनसंपर्क म.प्र. मंत्रालय, भोपाल ।
9. अवर सचिव, (स्था) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन की ओर सामान्य प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक एफ 16–10/2012/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक /02/2013

प्रतिलिपि :–

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि/म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

R.ltr.ms.

परिशिष्ट–अ

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय– मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत् **निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाईज पैकेज प्रदान करने हेतु मंत्रि–परिषद् समिति** के कार्य संपादन हेतु प्रकिया का निर्धारण ।

मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 20 (1) के यह प्रावधान है कि "राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।" उक्त प्रावधान अन्तर्गत् मंत्रि–परिषद् समिति के कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार प्रकिया का निर्धारण प्रस्तावित है :–

1. मेगा औद्योगिक उपक्रम के परिप्रेक्ष्य में 'कस्टमाइज्ड पैकेज' *जिसके अन्तर्गत् भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी सम्मिलित होंगे,* के लिये निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति हेतु नामांकित नोडल एजेंसी "मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि." (ट्राइफेक) में निर्धारित प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर 'ट्राइफेक' द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संक्षेपिका तैयार की जावेगी।

2. ***अन्य सेक्टर से संबंधित मेगा निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाईज** पैकेज जिसके अन्तर्गत् भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी सम्मिलित होंगे, के लिए संबंधित विभाग में निर्धारित प्रकिया एवं आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संक्षेपिका तैयार की जावेगी ।*

3. मेगा निवेश परियोजना के परिप्रेक्ष्य में नोडल एजेंसी(ट्राइफेक)/*संबंधित विभाग* के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सामान्यतः निम्नानुसार सहपत्र प्रस्तुत किये जावेंगे –

- निर्धारित आवेदन शुल्क
- आवेदक कम्पनी का 'प्रोफाइल'
- प्रोजेक्ट प्रोफाइल